



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

संभागीय कार्यालय REGIONAL OFFICE

केन्द्रीय विद्यालय न.1, ए.एफ.एस.कैम्पस, सेक्टर-14

KV No.1, AFSCampus, Sector-14

गुरुग्राम, हरयाणा / Gurugram (Haryana)-122001

Phone: 0124-2307399(DC), 2307499, 2307599, 2307699

E-mail: dcrogurgaon@kvsedu.org, admnkvsrogurgaon@gmail.com

एफ.32050/एम.ए.सी.पी./प्रशा./2018-19/के.वि.सं.(गुडगाँव)/ 2308-2417

दिनांक: 06-सितम्बर-2018

तत्काल डाक/ई-मेल/वेबसाइट

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008-स्था०(डी) दिनांक 19.05.2009 एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०) के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.11029-16/2009 के.वि.एस(मु०)(प्रशा०-1) दिनांक 09.02.2011 तथा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये स्पष्टीकरण की अनुपालना में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम संभाग में गठित विभागीय समीक्षा समिति की दिनांक 24.08.2018 को संपन्न हुई बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित विभिन्न कोटि के गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को जिनके विवरण उनके नाम के साथ दिए गए हैं, संशोधित आश्वस्त जीवनवृत्ति प्रगति/आश्वस्त जीवन प्रगति योजना (MACP/ACP) के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन एतद्वारा प्रदान किया जाता है:-

Sl No	Name	Desig.	Name of the KV	Date of regular appointment in KVS	Date of appointment in KVS on Present Post	Whether 1st/2nd/3rd MACP	Date of grant of MACP	Grade Pay
1	2	3	4	5	6		8	9
HINDI TRANSLATOR								
1	MS. HARPREET KAUR	HINDI TRANSLATOR	KVS, RO, Gurgaon	15-Oct-93	15-Oct-93	2nd	15-Oct-13	4800 (as per 6th CPC)
STENOGRAPHER GRADE - I								
2	MR. JAIDEEP RANA	Steno Grade - I	KVS, RO, Gurgaon	5-Dec-96	28-Jul-09	2nd	5-Dec-16 *	Level 7 (as per 7th CPC)
ASSISTANT SECTION OFFICER								
3	MR. R.K. CHAUDHARY	ASO	KVS, RO, Gurgaon	12-Aug-85	2-May-18	3rd	12-Aug-16 **	Level 7 (as per 7th CPC)
SENIOR SECRETARIAT ASSISTANT								
4	MR. RAJENDER KUMAR	SSA	HISAR CANTT.	22-Oct-07	22-Oct-07	1st	22-Oct-17	Level 5 (as per 7th CPC)
5	SH. J. S. PUNDIR	SSA	No.2, Chandimandir	20-Nov-87	19-Oct-02	3rd	20-Nov-17	Level 6 (as per 7th CPC)

SUB-STAFF								
1	2	3	4	5	6		8	9
6	MR. ANUP KUMAR	Sub-Staff (LA)	Dharamshala	1-Sep-87	1-Sep-87	3rd	1-Sep-17	Level 4 (as per 7th CPC)
7	MR. DESH RAJ	Sub-Staff (LA)	KV BAKLOH	1-Jun-88	30-Apr-06	3rd	1-Jun-18	Level 4 (as per 7th CPC)
8	MR. RAJENDER SINGH	Sub-Staff (LA)	ROHTAK	18-Jan-88	18-Jan-88	3rd	18-Jan-18	Level 4 (as per 7th CPC)
9	SMT. BALA	SUB STAFF	ROHTAK	1-Aug-96	1-Aug-96	2nd	1-Aug-16	Level 3 (as per 7th CPC)
10	MR. JAI PAL	Sub-Staff	K.V. 4, Ambala Cantt	15-Jan-98	15-Jan-98	2nd	15-Jan-18	Level 3 (as per 7th CPC)
11	MR. OM PRAKASH	SUB STAFF	HISAR CANTT	29-Jun-88	29-Jun-88	3rd	29-Jun-18	Level 4 (as per 7th CPC)
12	MR. ISHWAR CHAND	Sub-Staff (LA)	No.2, Ambala	26-Mar-88	31-Jul-07	3rd	26-Mar-18	Level 4 (as per 7th CPC)
13	MR. HARCHARAN SINGH	Sub-Staff (LA)	No.3, Ambala	18-Aug-87	20-May-06	3rd	18-Aug-17	Level 4 (as per 7th CPC)
14	MR. JOGINDER KUMAR	Sub-Staff	No.2, Chamera	9-May-97	9-May-97	2nd	9-May-17	Level 3 (as per 7th CPC)
15	MR. SURENDER KUMAR	Sub-Staff	Rewari	28-Jun-88	28-Jun-88	3rd	28-Jun-18	Level 4 (as per 7th CPC)
16	MR. NARESH KUMAR	Sub-Staff	Rewari	6-Aug-87	6-Aug-87	3rd	6-Aug-17	Level 4 (as per 7th CPC)

*Conditionally Recommended subject to the approval from KVS(HQ) in light of MACP clarification Point No. 8 of letter No. F.11029-12/2010-KVSHQ/(Admn.I, dated 03/10.10.2011 and MACP Illustrations Para 28(B).

**Granted after adding 1 year debarment period.


(कुल 16 प्रकरण)

निम्नलिखित कर्मचारियों के प्रस्तावों को विभागीय समीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के पश्चात संशोधित आश्वस्त जीवनवृत्ति प्रगति/आश्वस्त जीवन प्रगति योजना के अंतर्गत उपयुक्त नहीं पाया गया। इन्हें अस्वीकृत करने का कारण प्रत्येक कर्मचारी के नाम के सामने दिया गया है :-

Sl No	Name	Desig.	Name of the KV	Date of regular appointment in KVS	Reason
1	2	3	4	5	6
1	MS. KARAMJEET KAUR	SSA	AFS, KASAULI	26.11.1996	Case already referred to KVS(HQ) for clarification, reply awaited.
2	MR. SANJEEV TALWAR	SSA	PALUWAS	26.11.1996	Disciplinary proceeding are under process, under Rule - 14 of CCS(CCA) Rules, 1965.
3	MR. ROSHAN LAL	SUB-STAFF (LA)	NO.1, AMBALA	22.11.1983	Case already referred to KVS(HQ) for clarification, reply awaited.
4	MR. H. C. SHARMA	SUB-STAFF (LA)	JUTOGH	15.10.1984	

(कुल 04 प्रकरण)

सी.सी.एस की पहली अनुसूची (संशोधित वेतन) के नियम 2008 के भाग 1 खंड ए के अनुसार पदानुक्रम में अगले क्रम ग्रेड पे एवं संशोधित पे बैंड में एम ए सी पी की योजना लागू की गई है। आश्वस्त जीवनवृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत जिनका ग्रेड पे बढ़ गया या जिन्हें पदोन्नति मिली उन सब को छूटे वेतन आयोग में उनके ग्रेड पे को एक साथ किये जाने की वजह से उन्हें एम ए सी पी योजना पदोन्नति के समान होने के कारण इस योजना के अंतर्गत आने वालों को ग्रेड पे मिलाकर 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि का लाभ देय होगा, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ मिला है, उन्हें पदोन्नति मिलने पर वे वेतन निर्धारण के हकदार नहीं होंगे बशर्ते कि उनका ग्रेड पे अधिक होने पर अगले ग्रेड पे का लाभ अवश्य मिलेगा। एफ आर 22(1)a(1) के अंतर्गत वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त करने के लिए एम ए सी पी योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा वेतनवृद्धि प्राप्त होने के बाद जो भी उनके लिए फायदेमंद हो सम्बंधित कर्मचारी इस कार्यालय आदेश की प्राप्ति तिथि से एक माह के भीतर अपना विकल्प (Option) दे सकते हैं। इस सम्बन्ध में एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा। उक्त अवधि के अंतर्गत विकल्प नहीं देने की स्थिति में कर्मचारी का वेतन एम ए सी पी/ ए सी पी की देय तिथि से ही निर्धारित किया जायेगा।


 (एस. एस. रावत)
 उपायुक्त

वितरण:

1. सम्बंधित कर्मचारी।
2. उपायुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम को सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस कार्यालय आदेश की दो प्रतियाँ (एक प्रति सम्बंधित कर्मचारी को देकर रसीद प्राप्त करके उसकी व्यक्तिगत पंजिका में रखें) इस उद्देश्य के साथ प्रेषित कि वे सम्बंधित कर्मचारी जिसको इस आदेश के द्वारा एम ए सी पी/ ए सी पी के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया गया है, उनसे सम्बंधित विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से इस तथ्य को पुनः सत्यापित करें कि सम्बंधित कर्मचारी ने अपनी सेवा अवधि के दौरान कभी भी पदोन्नति को अस्वीकृत नहीं किया है, यदि ऐसा पाया जाता है तो इस कर्मचारी का पूर्ण विवरण इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजें। सम्बंधित कर्मचारी से इस आशय का एक वचनबद्धता पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि संशोधित आश्वस्त जीवनवृत्ति प्रगति योजना के तहत वित्तीय उन्नयन स्वीकृत करने में कभी भी किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापिस ले लिया जाएगा।
6. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
7. इस संभागाधीन शेष केन्द्रीय विद्यालयों के समस्त प्राचार्यों को सूचनार्थ।
8. क्षेत्रीय महासचिव, गुरुग्राम संभाग, सभी मान्यता प्राप्त सेवा संघ।
9. निजी सहायक, उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम संभाग- वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. कार्यालय आदेश संचिका।